

BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER

File No.: Ram/Store/F.1/303/Revolving Chair/2022-23/1725 Date 603.2023

Short Term Tendor Notice Inviting Bid

Nib No.: BOR/ Goods/OCB/ Revolving Chair/Rs. 06.00 Lakh /2023/ tQ Dated:16/03/2023

Notice Inviting Bid for Procurement of Revolving Chair are hereby invited from interested bidders upto 10:30 AM till 20.03.2023. For any other particulars related to may be visited on the procurement portal (http://sppp.raj.nic.in) of the state; and www.landrevenue.rajasthan.gov.in of board website. The approximate value of the procurement is Rs. 06,00,000.

UBN: BUR1223650B00013

Additional Registrar (Store) Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer

निबंधक,

राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर।

दूरभाष: 91-145-2627620

फैक्स : 91-145-2427072, 2627001

ई-मेल : bor-rj@nic.in

अल्पकालीन बोली आमंत्रण की सूचना (NOTICE INVITING BIDS)

NIB No. BOR/Goods/OCB/Revolving Chair/Rs.06.00 Lakh/2023/

Date: /03/2023

1. राजस्थान सरकार के महामहिम राज्यपाल की ओर से राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा मण्डल कार्यालय में उपयोग हेतु Revloving Chair उपापन हेतु खुली प्रतियोगिता बोली सूक्षम, लघु और मध्यम उद्यमों से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 7 की उप—धारा(1A) के अधीन वर्गीकृत, निर्माता और राजस्थान में स्थित और इस रूप में उद्योग विभाग द्वारा मान्यताप्राप्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से शर्तरहित, मुहरबंद, एकल चरण दो लिफाफा बोलियाँ आमंत्रित की जा रही हैं:—

Sr. No.	Item	Specification	
1.	Officers Revolving Chair	 Seat with high quality Italian leatherette upholstery, seat and back 40DC super soft foam with uper layer siliconized polyster fibre for extra comfort, S Curved back, permanent contact Synchro tilt mechanism, upright position locking and a fixed J type Metal armrest cushioned for soft grip Five pronged strong metal base with Glass filled nylon twin wheels Weight - 21 Kg Approx Dimension - 70*70*115 cm Primary Material - High Quality Italian Leatherette Upholstery - Rexine Leatherette Seat Height - 50-60 Cm Colour - Black Warranty - 24 Month with replacement of paticular damaged parts or entire product in case of non availability of damaged parts 	
2.	Employee Revolving Chair	 Seat with high quality Italian leatherette upholstery, Permanent contact Synchro tilt mechanism, upright position locking and a fixed metal arm with moulded polyurthane Grip Five pronged strong metal base with Glass filled nylon twin wheels Weight - 16 Kg Approx Dimension - 68*72*92 cm Primary Material - High Quality Italian Leatherette Upholstery - Rexine Leatherette Seat Height - 50-60 Cm Colour - Black and Camel Warranty - 24 Month with replacement of paticular damaged parts or entire product in case of non availability of damaged parts 	

- 2. बोलियों के मूल्यांकन खुली प्रतियोगिता बोली के अधिनिर्णय में बोली दस्तावेज में यथा वर्णित कीमत और / या क्रय अधिमान पर विचार किया जायेगा।
- 3. अनुबंध की शर्तें, मूल्यांकन एवं योग्यता मानदंड, बोली फार्म, डिजाइन / ड्राईंग स्पेसिफिकेशन, आपूर्ति अनुसूचि, आदि सहित बोली दस्तावेज बोलियाँ खोली जाने की दिनांक से एक दिन पहले तक कार्य दिवसों के दौरान कार्य प्रसारित समय में उपापन संस्था के कार्यालय में देख सकते है या अप्रतिदेय राशि रू. 200 /— नगद या बैंकर्स चैक या अधिसूचित बैंक के डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान करके प्राप्त कर सकते है। साथ ही बोली दस्तावेज उपापन संस्था की वेबसाइट www.landrevenue.rajasthan.gov.in/bor या स्टेट प्रोक्योरमेंट पोर्टल की वेबसाईट www.sppp.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं या प्राप्त कर सकते है एवं बोली दस्तावेज का मूल्य यूजर चार्जेज / प्रोसेसिंग शुल्क, यदि कोई हो, दस्तावेज जमा करने के साथ बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जायेगा।
- 4. निर्धारित तिथि और समय के पश्चात् प्राप्त बोलियाँ स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना खोले ही लौटा दी जायेगी।
- 5. बोलियाँ, बोलीदाताओं या उनके प्रतिनिधियों, जो उपस्थित होना चाहते हैं के सम्मुख दिनांक : 20/03/2023 को समय 11:00 AM पर खोली जाएगी।
- 6. उपापन संस्था सबसे कम राशि वाली बोली (L-1) को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है, एवं बिना कारण बताये किसी भी या सभी बोलियों को अस्वीकार कर सकती है।
- 7. बोलीदाताओं को आयकर विभाग द्वारा जारी 'पैन कार्ड की प्रति' जमा करनी होगी।
- 8. उक्त बोली आमंत्रण सूचना राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 तथा हुए संशोधनों के अनुसार जारी की जा रही है तथा साथ ही उक्त उपापन प्रक्रिया इन अधिनियम एवं नियमों एव संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार की जायेगी।
- 9. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित या लाभकारी स्वामित्व बोलीदाता उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उद्योग विभाग, राजस्थान के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश के बोलीदाता की परिभाषा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 13 के अनुसार होगी।
- 10. विवाद की स्थिति में न्याय का क्षेत्राधिकार अजमेर न्यायालय होगा।

2. BID - DATA -SHEET

Name of the subject matter	Revolving Chair
Required No. Of Item Of Subject	Officer Revolving Chair-15
Matter	Employee Revolving Chair-65
Nature of subject Matter	Goods
Method of procurement	Open Competitive Bid
Cost of BID DOCUMENT	Rs. 200/- (Fixed for MSME Registered
(non-refundable)*	Firm)
BID SECURITY	3000/- (Three Thousand only)
Estimated Cost	Rs.6.00 lakh
Date of Publishing BID DOCUMENT	16/03/2023
Last Date of Bid submission & Time	20/03/2023, Time 10:30 AM
Technical Bid Opening Date, Time	20/03/2023, Time 11:00 AM
& Place	Board of Revenue for Rajasthan, Ajmer
Financial Bid Opening Date, Time & Place	Technically Qualified Bidders will be informed accordingly
Websites for downloading Bid/BID	http://land revenue.rajasthan.gov.in/bor/
DOCUMENT/ Bidding Document, Corrigendum's, Addendums etc	http://www.sppp.gov.in
Proposal & BID Validity	90 days from the last date of bid submission

SCOPE OF WORK

Name of Subject Matter

Revolving Chair

• Specification of Subject Matter :

Officer Revolving Chair

- Seat with high quality Italian leatherette upholstery, seat and back 40DC super soft foam with uper layer siliconized polyster fibre for extra comfort, S Curved back, permanent contact Synchro tilt mechanism, upright position locking and a fixed J type Metal armrest cushioned for soft grip
- Five pronged strong metal base with Glass filled nylon twin wheels
- Weight 21 Kg Approx
- Dimension 70*70*115 cm
- Primary Material High Quality Italian Leatherette
- Upholstery Rexine Leatherette
- Seat Height 50-60 Cm
- Colour Black
- Warranty 24 Month with replacement of paticular damaged parts or entire product in case of non availability of damaged parts

Employee Revolving Chair

- Seat with high quality Italian leatherette upholstery, Permanent contact Synchro tilt mechanism, upright position locking and a fixed metal arm with moulded polyurthane Grip
- Five pronged strong metal base with Glass filled nylon twin wheels
- Weight 16 Kg Approx
- Dimension 68*72*92 cm
- Primary Material High Quality Italian Leatherette
- Upholstery Rexine Leatherette
- Seat Height 50-60 Cm
- Colour Black and Camel
- Warranty 24 Month with replacement of paticular damaged parts or entire product in case of non availability of damaged parts

No of Item

Officer Revolving Chair-15

Employee Revolving Chair-65

(Note: The Quantity of the required items can be increase/decrease by the Procuring Committee considering factors like Available Budget, Requirement etc.)

• **Delivery Period** : Within 04 Day's After Issuance of

Work Order.

Delivery Location : Board of Revenue for Rajasthan,

Ajmer.

Checklist

(To be Filled by the Bidder necessarily)

(समस्त दस्तावेज Offline प्रेषित करना अनिवार्य होगा)

1. Technical Requirement

S.No.	Name of Requirement	Response Yes/No (If not kindly state reason)	Attached at page no.
1.	MSME Registration Certificate Along with Annexure-I		
2.	GST Registration Certificate		
3.	Latest GST Return		
4.	Signed Bid Document		Milyan Mariya, a maka a faran mayari sana ya garayan magan ya
5.	Bid-Document Fee		
6.	RISL Fee		
7.	PAN Card Copy		e de la colonia de la colonia de proposición de la colonia
8.	Bid-Security		and the state of t
9.	Catalogue of the product quoted for Supply		
10.	Affidavit on Rs100/- Non Judicial Stamp Paper certified by Notary		
11.	Self Declaration Regarding Work Experience (Work Orders of similar items having total value minimum 02.00 Lakhs in past 3 years) and successful completion of Work Order.		
12.	Power of Attorney on Rs 500/- Stamp certified by Notary of a person signing the Bid Document on behalf of Firm/Bidder.		
13.	Self Declaration Certificate from the bidder regarding work experience (required - min 2 years)		
14.	Technical Specification of the Product Quoted for Supply (Annexure-J)		

<u>Finanical Requirement</u> (Has to be Submitted in Separate envelope)

S.No.	Requirement	Result	Attached at page no.
1.	Price Schedule in Required Format	Yes/No	

Pre - Qualification & Technical Requirement

निम्नांकित वांछित मापदण्डों को पूरा करते हुये आवश्यक दस्तावेज हस्ताक्षरयुक्त बोली दस्तावेज के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा बोली पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। वित्तीय वर्ष की समाप्ति के दृष्टिगत बोली में निम्नांकित वांछित समस्त दस्तावेज की पूर्ति आवश्यक रूप से अपलोड किए जाना अनिवार्य होगा। अपलोड नहीं किए जाने की स्थिति में अथवा उचित कारण स्पष्ट नहीं किए जाने पर बोली को Pre-qualify नहीं मानते हुये अग्रिम कार्यवाही हेतु विचार नहीं किया जायेगा।

MSME Registration Certificate along with Annexure-I **GST Registration Certificate** Latest GST Return Signed Bid Document Bid-Document Fee RISL Fee PAN Card Copy **Bid-Security** Catalogue of the product quoted for Supply Affidavit on Rs100/- Non Judicial Stamp Paper certified by Notary Self Declaration Regarding Work Experience (Work Orders having total value minimum 02.00 Lakhs in past 3 years) and successful completion of Work Order. Power of Attorney on Rs 500/- Stamp certified by Notary of a person signing the Bid Document on behalf of Firm/Bidder. Self Declaration Certificate from the bidder regarding work experience (required - min 2 years) Technical Specification of the Product Quoted for Supply (Annexure-J)

Financial Requirements

- 1. बोलीदाता द्वारा वित्तीय बोली E-Proc के माध्यम सें Online प्रेषित की जानी हैं।
- 2. ध्यातव्य रहे कि निर्धारित Price-schedule में एक Item की Rate समस्त करों सहित चाही गई है।

3.	बोली	जमा सूची (Bid Submission Sheet)
_		
बोर्ल	ो आमं	त्रण सूचना क्रमांक
सेवा	में,	
	ि	ग्वंधक,
	रा	जस्व मण्डल राजस्थान,
	अ	जमेर
	दू	सिष : 91-145-2627620 फैक्स : 91-145-2427072, 2627001 ई-मेल : bor-rj@nic.in
हम,	अद्योह	स्ताक्षरकर्ता, घोषणा करते हैं किः
(i)	हमने कोई	। बोली दस्तावेज पढ़ लिया है, जाँच लिया है, और हमें इसमें वर्णित प्रावधानों से किसी भी प्रकार की भी आपत्ति नहीं हैं।
(ii)	सहित	बोली दस्तावेजों में वर्णित की गई उपापन की विषय वस्तु (मय स्पेसिफिकेशिन एवं अन्य निर्देशों त) के अनुरूप एवं प्रदाय अवधि की अनुसूचि में वर्णित अवधि के अनुसार निम्नलिखित माल एवं वेत सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत है।
	(ক)	
	(ख)	
(iii)	हमने	उपापन प्रक्रिया हेतु निम्नलिखित मदों हेतु राशि का भुगतान कर दिया है।
	(ক)	किसको भुगतान किया है(उपापन संस्था का नाम) : निबंधक, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर
	(ख)	पता : अजमेर।
	(ग)	किस कारण / किस मद हेतु : बोली प्रतिभूति।
	(ঘ)	राशि
		(यदि कोई राशि का भुगतान नहीं किया गया है तो 'नहीं' अंकित करें।)
iv)	बोली दिनों	दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90

- (iv) बोली दस्तावेजों में वर्णित प्रावधानों के अनुसार हमारी बोली, बोली जमा कराने की अंतिम तिथि से 90 दिनों की कालावधि तक वैध रहेगी एवं यह हम पर बाध्यकारी होगी और निश्चित की गई वैधता अविध से पूर्व तक किसी भी समय उपापन संस्था द्वारा स्वीकार की जा सकेगी।
- (v) यदि हमारी बोली स्वीकार कर ली जाती है तो कार्य के सही संपादन हेतु हमारे द्वारा कुल प्रदाय राशि का 1% प्रतिशत कार्य संपादन प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जायेगा या नियमानुसार इस हेतु कार्य संपादन प्रतिभूति की घोषणा की जायेगी।
- (vi) हमारी फर्म, आपूर्तिकर्ता या उप बोलीदाता, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए, भारतीय नागरिकता रखती है।

- (vii) हम, बोलीदाताओं हेतु बोली दस्तावेजों में वर्णित अर्हता, पात्रता एवं योग्यता की शर्ते पूरा करते हैं और विषय वस्तु के उपापन में हमारा कोई हित विरोध नहीं है। हम इस बोली प्रक्रिया में एक से ज्यादा बोलीदाताओं के रूप में भाग नहीं ले रहे है।
- (viii) हमारी फर्म, इसकी सहायक और संबंधित ईकाईयाँ, आपूर्तिकर्ता एवं उपबोलीदाता, यदि कोई हो, को सिमालित करते हुए, को राज्य सरकार द्वारा या उपापन संस्था द्वारा निषेध नहीं किया गया है।
- (ix) जब तक कि औपचारिकता करार तैयार एवं संपादित नहीं हो जाता है, यह बोली एवं आपके द्वारा प्रेषित आशय पत्र / स्वीकृति पत्र आपके व हमारे बीच बाध्यकारी करार होगा।
- (x) आप न्यूनतम बोलीदाता या अन्य किसी भी बोली को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यह प्रावधान हम स्वीकार करते हैं।
- (xi) उपापन संस्था या इसका कोई भी प्रतिनिधि हमारे लेखों, रिकार्ड एवं बोली जमा करने से संबंधित किसी भी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनके द्वारा नियुक्त कोई भी लेखा परीक्षक इनकी लेखा जॉच कर सकेगा।

(xii)	अन्य यदि कोई हो :
	हस्ताक्षर:
	नाम:
	पदनाम:
	किसकी ओर से(बोलीदाता का नाम):
	दिनांक:
	टेलीफोन न0:फैक्स न0:ईमेल:

राजस्य मण्डल राजस्थान, अजमेर एकल चरण - दो लिफाफा बोली बोली दस्तावेज - Goods

मूल्य अनुसूची (Price Schedule) बोलीदाता का नाम :-बोली आमंत्रण की सवना क्रमांक

	<u></u>				
	Amount With All Taxes (Rs.) (5+6+7) PER ITEM	9.	In Words		
		%	In Figures		
	Any Other Taxes Duties, If Yes, Then Mention Amount and Name Of Tax (In Rs.)	7.			
	GST	6.			
	Basic Rate (Per Item) (In Rs.)	5.			
	Warranty/ Guarantee (specify the no. of years)	4.			
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Make of Item (Brand Name)	3.			
	Item Name	2.		Officer Revolving Chair	Employee Revolving Chair
	S S	-		-	2.

नोट : उपरोक्त दरें समस्त कर सहित प्रति नग पर चाही गई हैं।

Price is to be quoted for 01 unit of each item separately. The Procuring entity is not bound to purchase all three items from single

L-1 will be decided on the basis of individual quoted Price. Also the PC can approve the rates of the bidder other than the L-1 rate

किसकी ओर से अधिकृत(बोलीदाता का नाम):--...... नाम:-____

दिनांक:--

टेलीफोन न0:--.....केक्स न0:--...............ईमेल:--..............

Min Warranty - 24 Month with replacement of paticular damaged parts or entire product in case of non availability of damaged parts

4. INSTRUCTION TO BIDDERS बोलीदाताओं हेतू निर्देश

- 1. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।
- 2. उपापन की विषय वस्तु के लिए खुली प्रतियोगिता बोली पद्धति की जा रही हैं।
- 3. उपापन की विषय वस्तु के लिए खुली प्रतियोगिता बोली पद्धित के द्वारा मण्डल कार्यालय में Revolving Chair हेतु की जा रही है। उपापन हेतु एकल चरण दो लिफाफा पद्धित अपनाई जानी है, जिसमें तकनीकी दस्तावेज मूल्य का प्रमाण पत्र, बोली प्रतिभूति राशि, विषयवस्तु का स्पेशिफिकेशन, हस्ताक्षरित बोली दस्तावेज एवं अन्य वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें एवं वित्तीय बोली (निर्धारित एवं संलग्न प्रपत्र में) प्रस्तुत करनी होगी।
- 4. All other conditions shall be prevailing as mentioned in the bid document in the respective sections.
- 5. The Bidder or his consortium partner(s), if any, should not be blacklisted / debarred / banned by any procuring entity at the time of submitting this bid.
- 6. No contractual obligation whatsoever shall arise from the bidding document/bidding process unless and until a formal contract singed and executed between the procuring entity and successful Bidder.
- 7. Procurement entity disclaims any factual/ or other errors in the bidding document (the onus is purely on the individual bidders to verify such information) and the information provided therein are intended only to help the bidders to prepare a logical bid-proposal. Clarification(s) may be sought before submission of the bid.
- 8. दरें गन्तव्य स्थान तक एफ.ओ.आर. उद्धृत की जानी चाहिए तथा उनमें सभी आनुषांगिक प्रभारों को शामिल करना चाहिए किन्तु CGST / SGST को शामिल न करके इन्हें अलग से दिखाया जाना चाहिए। स्थानीय प्रदायों के मामले में दरों में समस्त करों आदि को शामिल करना चाहिए तथा किसी गाड़ी भाडे (कॉटेज) या परिवहन प्रभारों का सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जाएगा तथा माल की सुपुर्दगी उपापन संस्था के कार्यालय के परिसर पर दी जाएगी। खरीदे जाने वाले माल कार्यालयों के उपयोग के लिए है, इसलिए इन पर चुंगी का भुगतान नहीं किया जाता है। अतः इन दरों में चुंगी करों आदि को शामिल नहीं करना चाहिए। यदि खरीदे जाने वाले माल पुनः बिक्री करने के लिए या बिक्री हेतु किसी माल के विनिर्माण के रूप में उपयोग में लेने के लिए है, तो इन दरों में चुंगी एवं स्थानीय करों को शामिल किया जाएगा। पूर्व उपयोग की दशा में विहित प्रारूप में एक प्रमाण पत्र प्रदाय आदेश के साथ भेजा जाएगा।
- 9. यदि राजस्थान के बाहर की फर्म आवेदन करती है तो GST के प्रावधान लागू होंगे।
- 10. बोलीदाता द्वारा यदि जी.एस.टी अथवा अन्य कर मूल्य अनुसूची में अंकित नहीं किया जाता हैं तो अंतिम दरें समस्त कर सहित मानी जाएगी।

- 11. विनिर्दिष्ट समय एंव तारीख के बाद बोलियों को स्वीकार नहीं किया जायेगा और यदि डाक से प्राप्त होती है तो बिना खोले ही रिजस्ट्रीकृत डाक द्वारा बोली लगाने वाले की बोली लौटा दी जायेगी।
- 12. वित्तीय बोलियों में अंकगणितीय त्रुटियों में नियमानुसार ही सुधार किया जा सकेगा।
- 13. बोली प्रक्रिया में मूल्यांकन हेतु केवल उन बोलियों को सिम्मिलित किया जायेगा, जो कि अपेक्षित प्रक्रिया फीस या उपभोक्ता प्रभारों और बोली दस्तावेजो की कीमत के साथ विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्राप्त की जाती है।
- 14. सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
- 15. बोली की विधिमान्यता की कालावधि के अवसान के पूर्ण उपापन संस्था सफल बोली दाता को उसकी बोली स्वीकार कर लेने की सूचना प्रदान करेगी।
- 16. उपापन प्रक्रिया मे यदि आवश्यक हो तो नियमानुसार अपील की जा सकेगी।
- 17. बोलीदाताओं द्वारा जमा किये गये दस्तावेजों की सत्यता का उत्तरदायित्व स्वयं बोलीदाता पर होगा।
- 18. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित या लामकारी स्वामित्व बोलीदाता उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उद्योग विभाग, राजस्थान के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश के बोलीदाता की परिभाषा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 13 के अनुसार होगी।
- 19. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012, नियम 2013 एंव संशोधनों के अनुरूप की जायेगी।

5. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 7 की अनुपालना में बोलीदाता द्वारा घोषणा (Declaration by Bidder in Compliance of section 7 of Act)

-: बोलीदाता द्वारा घोषणा :-

आपके द्वाराउपापन के लिये जारी की गई बोली आमन्त्रण सूचना

	कमांक के परिप्रेक्ष्य में हमारी जमा की गई बोली के कम में, मैं / हम राजस्थान लोक
(i)	उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 7 के प्रावधानों के अनुरूप घोषणा करते हैं, कि :— मैं / हम, उपापन संस्था द्वारा जारी किये गये बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक वृतिक, तकनीकी वित्तीय एवं प्रबन्धकीय स्त्रोत रखता हूँ तथा साथ ही आवश्यक अपेक्षित सक्षमता धारित करता हूँ / करते हैं।
(ii)	मैं / हम, ऐसे करो को जो कि बोली दस्तावेजों के अनुसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार य यथास्थिति किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय है को संदत्र करने की बाध्यता को स्वीकार करता हूं / करते हैं।
(iii)	मै/हम, यह घोषणा करते है कि मै/हम दिवालिया रिसिवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं हूँ/है, या परिसमापन नहीं कर रहा हूँ/होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्यायिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्याकलाप रखूगाँ/रखेगे, न अपने कारोबार के क्रियाकलाप निलबित रखूगाँ/रखेगे, ओर न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यशक्तियों के अध्यधीन होऊँगा/होगे।
(iv)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि अपने आचरण या उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालाविध के भीतर कोई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दूर्व्यपदेशन संबंधी किसी दांडिक अपराध के संबंध में न तो स्वयं और न उनके निदेशक और अधिकारी दोष सिद्व हुए है, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए है,
(v)	मैं / हम, घोषणा करते हैं, कि बोली दस्तावेज के अनुसार, हमारे कोई हित के विरोध की स्थिति नहीं है, जो कि उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करें,
(vi)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म को राजस्थान में किसी भी संस्था द्वारा ब्लैकलिस्टेड / डिबार नहीं किया गया है।
(vii)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमारी फर्म विगतवर्षों से पूर्वकथित Revolving Chair का कार्य कर रही हैं।
(viii)	। मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमने निविदा दस्तावेज के नियमों अथवा शर्तों की स्वीकृति के रूप में निविदा दस्तावेज के प्रत्ये पृष्ठ पर फर्म की मोहर के साथ अपने हस्ताक्षर कर दिये है।
(ix)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि हमने रसीद / चालान संराशि रू. 200 का भुगतान कर क्रय किया है।
(x)	मैं / हम, घोषणा करते है, कि बोली प्रतिभूति राशि नकद / बैंकर्स चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट / ईग्रास संख्या के माध्यम से जमा करवा रहे हैं।
	दिनांक : हस्ताक्षर:
,	स्थान :- नाम:
	पदनाम:
	पता मय दूरभाष:

6. उपापन/अनुबंध/करार की सामान्य शर्ते (General Conditions of Contract)

- 1. उपापन संस्था के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला बोलीदाता या कोई भी व्यक्ति नियमों मे उल्लिखित ''सत्यनिष्ठा संहिता' की पालना करेगा। सत्यनिष्ठा संहिता के किसी भी उपबंध के भंग होने की दशा में उपापन संस्था नियमानुसार समुचित कार्यवाही कर सकेगी।
- 2. उपापन संस्था या उसके कार्मिक और बोली लगाने वालों के मध्य नियमानुसार 'हित विरोध'' की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।
- 3. उक्त बोली राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.11.2015 के प्रावधानों की अधीन आमंत्रित की जारी हैं।
- 4. कोई भी नैसर्गिक व्यक्ति, प्राईवेट संस्था, सरकारी स्वामित्व वाली संस्था या जहाँ बोली दस्तावेजों में अनुज्ञात हो, किसी करार के किये जाने के औपचारिक आशय से उनका कोई समुच्चय या विद्यमान करार के अधीन सहउद्यम के रूप में बोली लगाने वाले के रूप में पात्र हो सकते है। माल के उपापन की दशा में बोली लगाने वाला माल का विनिर्माता, वितरक या सद्भावी व्यवहारी होना चाहिए और वह विनिदिष्ट रूप विधान में उसके आवश्यक सबूत देगा। साथ ही किसी बोली लगाने वाले की पात्रता नियमों में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगी।
- 5. उपापन संस्था द्वारा, बोली दस्तावेजों में, यदि कोई परिवर्तन या स्पष्टीकरण जारी किया जाता है, जो कि बोली दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट निबंधनों को सारवान रूप से प्रभावित करता है, तो उपापन संस्था बोली लगाने वालों को पर्याप्त समय प्रदान कर सकेगी और तत्पश्चात् यथा उपांतरित बोली पर मूल्यांकन के लिए विचार किया जा सकेगा।
- 6. बोली लगाने वालों के द्वारा प्रस्तुत बोली की कालावधि सामान्यतः 90 दिनों की होगी। विशेष परिस्थितियों में उपापन संस्था कालावधि में विस्तार कर सकेगी। तत्पश्चात् जिन्होंने विस्तार से सहमति जताई हो, उन्ही बोलियों को मूल्यांकन हेतु स्वीकृत माना जायेगा।
- 7. बोली दस्तावेजों में विर्निदिष्ट समय, तारीख एवं स्थान पर, बोली लगाने वालों या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों, जो उपस्थित रहना चाहे, की उपस्थिति में बोलियाँ खोली जायेगी।
- 8. बोलियों की परीक्षा, मूल्यांकन, तुलना, एवं अर्हता के दौरान बोली मूल्यांकन सिमित स्वविवेक से किसी बोली लगाने वाले को उसकी बोली के संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए कह सकेगी और ऐसे स्पष्टीकरण के लिए सिमित का अनुरोध और बोली लगाने वाले का प्रत्युत्तर लिखित में होगा। किन्तु किन्ही गणितीय त्रृटियों की शुद्धि को पुष्ट करने के सिवाय बोली की कीमतों या सार में कोई भी परिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जायेगा।
- 9. बोली दस्तावेजों में बोली लगाने वालों के द्वारा आवश्यक दस्तावेज यथा संपरीक्षित लेखा विवरण, जीएसटी प्रमाण-पत्र, PAN इत्यादि भी सम्मिलित किये जायेंगे।
- 10. एकल स्त्रोत उपापन या प्रतियोगी बातचीत द्वारा उपापन की पद्धतियों के सिवाय, जहाँ तक संभव हो, बोली पूर्व प्रक्रम के पश्चात कोई बातचीत नहीं की जायेगी। माँगे जाने वाले समस्त स्पष्टीकरण बोली पूर्व अवस्था में ही माँगे जायेंगे। अन्यथा बातचीत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में ही नियमानुसार की जा सकेगी। तत्पश्चात कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
- 11. उपापन संस्था वस्तु विशेष के उपापन से संबंधित प्रक्रिया में नियमानुसार गोपनीयता के संरक्षण के लिए शर्ते अधिरोपित कर सकेगी।
- 12. उपापन संस्था बोली लगाने वालों के प्रति किसी उत्तरदायित्व को उपगत किये बिना, किसी बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने, और बोली प्रक्रिया को रद्द करने और उपापन के अधिनिर्णय से पूर्व किसी भी समय, समस्त बोलियों को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
- 13. उपापन संस्था नियमानुसार किसी बोली को उपवर्जित कर सकेगी। सशर्त बोलियाँ अस्वीकार किये जाने योग्य होगी।
- 14. यदि राजस्थान के बाहर की फर्म आवेदन करती है तो GST के प्रावधान लागू होंगे।
- 15. उपापन संस्था बोली की प्रत्युत्तरदायित्वता का अवधारण करेगी। एवं बोली को प्रत्युत्तरदायी तब ही मानेगी जब कि वह बोली दस्तावेजों मे उपवर्णित समस्त उपेक्षाओं के अनुरूप है।

- 16. यदि फर्म उद्योग विभाग में पंजीकृत हैं तो प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 17. मूल्यांकन कसौटी के आधार पर सर्वाधिक लाभप्रद बोली को सफल घोषित किया जायेगा। सफल बोली की कीमत उचित और अपेक्षित गुणवत्ता के सुसंगत होने के बाद ही उपापन संस्था द्वारा उपापन का अधिनिर्णय किया जा सकेगा। Warranty/Guarantee के लाभप्रद होने की दशा में L-1 की बोली स्वीकार करने हेतु उपापन समिति बाध्य नहीं हैं।
- 18. उपापन के अधिनिर्णय के समय पर नियमानुसार सर्वाधिक लाभप्रद बोली कीमत पर उपापन की विषय वस्तु का परिणाम एक से अधिक बोली दाताओं के मध्य विभाजित किया जा सकेगा, यदि नियमानुसार ऐसा किया जाना आवश्यक हो।
- 19. बोली के मूल्यांकन के समय सर्वप्रथम Pre-Qualification Requirements का मूल्यांकन किया जायेगा और तत्पश्चात तकनीकी। तकनीकी मूल्यांकन में जो बोली तकनीकी रूप से स्वीकृत होगी, उन्ही की वित्तीय बोलियाँ खोली जायेगी और इस संबंध में संबंधितों को सूचित कर दिया जायेगा।
- 20. आवश्यक PQ एवं तकनीकी अपेक्षाओं को पूर्ण करती हुई न्यूनतम दर वाली बोली को सफल बोली माना जाने हेतु विभाग बाध्य नही होगा।
- 21. बोलियों का मूल्यांकन अंकित तकनीकि मापदण्डों, गुणवत्ता एवं अंकित की गई राशि को सम्मिलित करते हुए किया जायेगा ।
- 22. यदि कोई उपापन प्रक्रिया रद्द कर दी गयी है तो उसे पुनः खोला नही जायेगा किन्तु उपापन संस्था द्वारा यदि अपेक्षित है तो, उसी विषय वस्तु के लिए, नयी उपापन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा सकेगी।
- 23. बोली लगाने वाले को स्वयं के खर्चे पर नियमानुसार गैर न्यायिक शपथ-पत्र पर स्वीकृति पत्र या आशय पत्र प्रेषित किये जाने की दिनांक से आदेशानुसार उपापन/करार पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वो ऐसा करने मे विफल रहता है, तो उपापन संस्था उसके विरुद्ध राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या नियमों के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगी।
- 24. कार्य संपादन प्रतिभूति आवश्यक होगी तथा साथ ही नियमानुसार कार्य सम्पादन प्रतिभूति की घोषणा ली जायेगी, जहाँ इसके लिए नियमों में प्रावधान किया गया हो। कार्य संपादन प्रतिभूति नियमों के विहित प्रारूपों में दी जा सकेगी। कार्य संपादन प्रतिभूति की रकम सामान्यतया माल और सेवाओं के उपापन के मामलों में प्रदाय आदेश की रकम की 1% होगी। विशेष परिस्थितियों में कार्य संपादन प्रतिभूति का समपहरण नियमानुसार किया जा सकेगा।
- 25. विनिर्देश:-
 - (i) प्रदाय की गई सभी वस्तुएं निविदा में निर्धारित स्पेसिफिकेशन, ट्रेडमार्क के पूर्णतया अनुरूप होगी तथा जहाँ पर वस्तुओं की आई.एस.आई. स्पेसिफिकेशन के अनुसार अपेक्षा की गई हो, उन मदों को पूर्णरूप से उन स्पेसिफिकेशन के अनुरूप होना चाहिए तथा उस पर नियमानुसार मार्क अंकित होना चाहिए।
 - (ii) तारांकित / क्रम संख्या......पर अंकित वस्तुओं का प्रदाय, अन्य बातों के साथ, अनुमोदित नमूनों के ठीक अनुरूप होगा तथा अन्य माल के मामलों में जहाँ कोई मानकीकृत या अनुमोदित नमूने ना हो, अति अत्युत्तम गुणवत्ता एवं विवरण के माल का प्रदाय किया जायेगा। उपापन संस्था को इस संबंध में, कि जो प्रदाय की गई है क्या वह स्पेसिफिकेशन के अनुरूप हैं, तथा क्या वह सैम्पल (यदि कोई हो) के अनुसार है, किया गया निर्णय बोलीदाताओं के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

बोलीदाता की जोखिम पर होगी तथा माल आदि को रद्द करने से संबंधित समस्त उपबंध लागू होंगे। बोलीदाता यदि उसे ऐसा करने के लिए कहा गया हो तो, वह उस माल आदि को या उसके भाग को, जिसे उपापन संस्था द्वारा रद्द किया गया है, बदल देगा अन्यथा बोलीदाता ऐसी क्षिति के लिए भुगतान करेगा जो इसमें दी गई शर्तों के उल्लघंन के कारण उत्पन्न होगी। इसमें दी गई कोई भी बात से उपापन के अधीन या अन्यथा उस संम्बंध में उपापन संस्था के किसी अन्य अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

- 26. उपापन संस्था द्वारा विनिर्दिष्ट मशीन एवं उपकरण के मामले में, बोलीदाता ऐसी शर्तों पर जो उनके बीच स्वीकार की जायेगी, वार्षिक रख रखाव (मेंटीनेन्स) एवं मरम्मत करने के लिये आवश्यक स्पेयर पार्टस एवं उपकरणों की नियमित समृचित सप्लाई करने के लिये भी उत्तरदायी होगा।
- 27. उपापन संस्था या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि सभी युक्तियुक्त समय पर प्रदायकर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समय पर माल/उपकरण/मशीन की सामग्री एवं कर्मकौशल का निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी। तथा बोलीदाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशॉप के परिसर का, जहाँ पर निरीक्षण किया जा सकता है, का पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते के साथ देगा जिसमें उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उस डीलर के मामले में, जो व्यवसाय में नए प्रविष्ठ हुए हैं, अपने बैंकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- 28. परीक्षण प्रभार उपापन संस्था द्वारा वहन किए जाएंगे। यदि निविदादाता अत्यावश्यक तत्काल परीक्षण कराना चाहता हो या परीक्षण परिणामों से यह ज्ञात होता है कि प्रदाय किया गया सामान विहित स्तरों या विनिर्देशों के अनुसार नहीं हैं, तो परीक्षण प्रभार बोलीदाताओं द्वारा वहन किये जाऐंगे।
- 29. उपापन की विषय वस्तुएं कार्यालय परिसर पर सही दशा में सुपुर्द की जायेगी। यदि प्रदायकर्ता चाहे तो वह मूल्यवान सामान की चोरी या नुकसान द्वारा या आग, बाढ, मौसम में पड़ा रहने के कारण या अन्यथा (जैसे: युद्ध विद्रोह, दंगे आदि) द्वारा हानि से बचाने के लिए बीमा करा सकेगा। यह बीमा प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किया जायेगा तथा ऐसे व्यय किये जाते है तो उपापन संस्था से इन प्रभारों का भुगतान करने की अपेक्षा नहीं करेगा। यदि उपापन संस्था द्वारा चाहा गया हो तो उपापन संस्था की लागत पर यह बीमा सदैव भारतीय जीवन बीमा या उसकी सहायक शाखाओं से कराया जा सकेगा।
- 30. बोली प्रपत्र में सुपुदर्गी के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप मे समझा जायेगा तथा सफल बोलीदाता उपापन संस्था से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि के भीतर प्रदाय करेगा।
- 31. उपापन संस्था परिस्थितियों एवं आवश्यकता के अनुसार उपापन की किसी विषयवस्तु के उपापन के लिये मना कर सकती है या विर्निदिष्ट परिमाण से कम उपाप्त कर सकती है या अतिरिक्त मदों या अतिरिक्त परिणामों के लिये पुनरादेश नियमानुसार दिया जा सकेगा।
- 32. बोलीदाता अपनी उपापन को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सोपेगा या उप-भाड़े (Sub Let) पर नहीं देगा।
- 33. विवादास्पद मदों के संबंध में, भुगतान योग्य राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक राशि रोकी जायेगी। तथा उक्त विवाद का निस्तारण होने पर ही रोकी गई राशि का भुगतान किया जायेगा। उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम, विहित विनिर्देशों के अनुरूप हो।
- 34. परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में, वसूली निम्नलिखित प्रतिशतता के आधार पर उस वस्तु के मूल्य के लिए की जायेगी, जिनका बोलीदाता प्रदाय करने में असफल रहा है।
 - (क) विहित सुपुदर्गी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए 2.5 प्रतिशत।
 - (ख) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनअधिक के लिए 5 प्रतिशत।
 - (ग) आधी अवधि से अधिक किन्तु विहित अवधि के तीन चौथाई से अनअधिक अवधि के लिए 7.5 प्रतिशत।
 - (घ) विहित अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10 प्रतिशत।

प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम भाग को छोड़ दिया जायेगा। परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 प्रतिशत होगी।यदि प्रदायकर्ता किन्हीं बाधाओं के कारण उपापन अन्तर्गत माल का प्रदाय पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करना चाहता है तो वह लिखित में उपापन संस्था को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी हेतु आदेश दिया है। किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि प्रदाय पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा। यदि माल प्रदाय करने में उत्पन हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो तो सुपुदर्गी की अवधि में वृद्धि परिसमापित नुकसानी सिहत या रिहत की जा सकेगी। परिसमापित नुकसानी, कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द की गयी वस्तुओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जायेगी। प्रदायकर्ता कम प्रदाय, टूट—फूट, रद्द किये गये माल की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि प्रदायकर्ता सन्तोषजनक ढंग से उनको नही बदलता है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि (Dues) एवं उपापन संस्था के पास उपलब्ध कार्य संपादन प्रतिभूति में से रोकी जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

35. दुर्लभ एवं विशिष्ट मामलो के सिवाय अग्रिम भुगतान नही किया जाएगा।

(क) यदि अग्रिम भुगतान किया जा रहा हो तो वह माल प्रेषित करने के सबूत पर तथा रेल / प्रतिष्ठित गुड्स ट्रांसपोर्ट कम्पनियों आदि द्वारा वित्तिय शक्तियों में विहित की गई सीमा तक तथा पूर्व निरीक्षण, यदि कोई हो, किये जाने पर किया जायेगा। अतिशेष राशि, यदि कोई है का भुगतान माल अच्छी हालत में प्राप्त होने पर तथा निरीक्षण के समय पृष्ठांकित और बोलीदाता को नहीं दिये गये है, उस आशय के प्रमाण पत्र पर दिये जाने पर दिया जायेगा।

(ख) सामान्यतया उपापन की विषय वस्तु का भुगतान बोलीदाता द्वारा नियमानुसार उचित प्रारूप मे उपापन

संस्था के कार्यालय में बिल प्रस्तुत करने के बाद किया जा सकेगा।

36. यदि बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप, जो कि राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम या उसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह इस हेतु पदाभिहित अधिकारी को नियमानुसार अपील दायर कर सकेगा। इस हेतु नियमानुसार परिस्थितियों में समस्त कार्यवाही इस अधिनियम, नियम व मार्गदर्शन के अनुबंधों के अनुसार की जायेगी।

37. बोली दस्तावेजों में सम्मिलित सभी भागों को या दस्तावेजों को एकीकृत रूपों में समझा जावेगा।

38. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देशों से संबंधित या लाभकारी स्वामित्व बोलीदाता उपापन प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व उद्योग विभाग, राजस्थान के साथ पंजीकृत होना अनिवार्य होगा। भारत के साथ भूमि साझा करने वाले देश के बोलीदाता की परिभाषा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 13 के अनुसार होगी।

39. उपापन की समस्त कार्यवाही राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप की जायेगी, तथा साथ ही जहाँ आवश्यक हो, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू होगें ।

40. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।

41. बोली प्रतिभूति राशि एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि की कार्यवाही लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 एवं यथा संशोधनों के अनुरूप लौटाई/जब्त की जाएगी।

42. वित्तीय बिंड में अनुबंधित बोलीदाता द्वारा अंकित करों में कमी / वृद्धि होती हैं तो भुगतान की कार्यवाही

नवीन करों अनुसार की जावेगी।

- 43. वित्तीय वर्ष की समाप्ति के मद्देनजर सफल बोलीदाता को कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि, करार-पत्र एवं अन्य दस्तावेज मण्डल के आदेशानुसार तुरन्त प्रस्तुत करना होगा तथा सामग्री की आपूर्ति भी विभाग के आदेशानुसार दिये गये समयाविध में करनी होगी। विभाग द्वारा दिये गये विनिर्देशों के आधार पर सामग्री नहीं होने पर सामग्री विभाग द्वारा स्वीकार नहीं की जाएगी ना ही भुगतान किया जाएगा।
- 44. जोखिम एवं लागत का प्रावधान नियमानुसार (GF&AR) लागू होंगे।

हस्ताक्षर (बोलीदाता)

नाम:	
पदनामः	
पता:	
पता: टेलीफोन न0:	
फैक्स न0	
ईमेल	

ः करार पत्र ः

स्वाव जाए	यह करार पत्र आज दिनाकमाहसनसनसनको एक पक्ष केसे इसमें आगे ''अनुमोदित प्रदायकर्ता'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, जहा संदर्भ द्वारा ऐसा कार किया जाएगा, इसके उत्तराधिकारियों,निष्पादकों एवं प्रशासको को शामिल किया हुआ समझा गा) तथा राजस्थान राज्य सरकार (जिसे इसमें आगे ''सरकार'' कहा गया है तथा इस अभिव्यक्ति में, संदर्भ द्वारा ऐसा स्वीकार किया जाएगा, उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशीतियो को शामिल
किय	। हुआ समझा जाएगा) द्वितीय पक्ष के बीच सम्पन्न किया गया।
1.	चूँकि अनुमोदन प्रदायकर्ता राजस्थान राज्य केको उसके मुख्यालय पर तथा सम्पूर्ण राजस्थान में उसकी शाखा कार्यालयो को भी, इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी सभी माल की बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गये तरीके से तथा उक्त अनुसूची के कालममें दी गयी दरों पर प्रदाये करने के लिए सरकार से सहमत हो गया है।
2.	चूँकि अनुमोदित प्रदायकर्ता ने रूपयेकी राशिनिम्न प्रकार से जमा करायी हैं:
i.	नकद / बैंक ड्राफ्ट / चालान संख्या / बैंकर्स चेक संख्यादिनांकदिनांक द्वारा,
ii.	विभागीय प्राधिकारियों के पास विधिवत रहन रखकर डाकघर बचत पास बुक के रूपये में,
iii.	राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों / डिफेंस सेविंग्स सर्टिफिकेट्स / किसान विकास पत्रों या अल्प बचतो को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय बचत योजनाओं के अंतर्गत किन्ही अन्य स्क्रिप्ट / इन्स्ट्रूमेंट के रूप में, यदि इन्हें सम्बंधित नियमों के अधीन (प्रमाण पत्र उनके समर्पण मुल्य पर स्वीकार किये जायेंगे) उक्त करार के निष्पादन के लिए कार्ये संपादन प्रतिभूति के रूप में गिरवी रखा जा सकता हो तथा उसे विभागीय प्राधिकारियों रूप से औपचारिक रूप से हस्तांतरित कर दिया गया हो।
3.	अतः अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी हैं:
i.	इससे संलग्न अनुसूची में दी गयी दरों परके मार्फत सरकार द्वारा किये जाने वाले भुगतान के प्रतिफल में अनुमोदित प्रदायकर्ताओर उसकेमें तथा बोली एवं संविदा की शर्तों में दिए गए तरीके से उक्त वस्तु का विधिवत प्रदाय करेगा।
ii.	बोली आमन्त्रण सुचना संख्यादिनांकसे संलग्न खुली प्रतियोगिता बोलीएवं संविदा की शर्तों को तथा इस करार पत्र से जुडी शर्तों को इस करार पत्र के भाग के रूप में लिया हुआ समझा जाएगा तथा ये इस करार पत्र को निष्पादित करने वाले पक्षकारों के लिए मान्य होंगे।
iii.	बोलीदाता से प्राप्त पत्र संख्यातथा सरकार द्वारा जारी किया पत्र संख्याभी जो इस करार पत्र के साथ संलग्न किया गये है, इस करार पत्र के भाग के रूप में होंगे।
	(क) सरकार एतद द्वारा स्वीकार करती है कि यदि अनुमोदित प्रदायकर्ता उक्त माल का उपर्युक्त तरीके से विधिवत प्रदाय करेगा, उक्त शर्तों का पालना करेगा तथा उन्हें बनाए रखेगा, तो सरकार के माध्यम से अनुमोदित प्रदायकर्ता को उक्त शर्तों में दिए गये समय पर तथा तरीके से, प्रत्येक माल प्रेषण के लिए देय राशि का भुगतान करेगी या भुगतान करवाएगी।
	(ख) भुगतान की विधि नीचे वर्णन किये गये अनुसार होगी:
	1
	.2
	.3

5. माल की सपुर्दगी प्रदाय हेतु आदेश देने की तारीख से नीचे अंकित अवधि के भीतर प्रारम्भ की जाकर पूर्ण की जायेगी:—

क्रम संख्या	मदों की संख्या	सुपुर्दगी अवधि

- 6. (1) यदि परिसमापित नुकसानी के साथ सुपुर्दगी की अवधि में वृद्धि की गयी हो तो प्रदाय न किये गये सामानों के लिए निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर वसूली की जाएगी:—
 - (i) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलंब के लिए- 2.5 %
 - (ii) एक चौथाई अवधि से अधिक किन्तु आधी अवधि से अनधिक के लिए- 5 %
 - (iii) आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई अवधि से अनधिक के लिए- 7.5 %
 - (iv) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई अवधि से अधिक के विलम्ब के लिए- 10 %

टिप्पणी-

- (i) प्रदाय में विलम्ब की अवधि की गणना करते समय आधे दिन से कम को छोड़ दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकार की गयी परिसमापित नुकसानी की अधिकतम राशि 10 % होगी।
- (iii) यदि प्रदायकर्ता किसी प्रकार की बाधा के घटित हो जाने के कारण संविदान्तर्गत प्रदाय को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि करने के लिए कहता हैं, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने वह प्रदाय आदेश दिया था। किन्तु यह आवेदन बाधा के घटित की होने पर तत्काल उसी समय दिया जाएगा न की प्रदाय को पूर्ण करने की निर्धारित तारीख के बाद दिया जाएगा।
- (2) यदि माल के प्रदाय में विलम्ब ऐसे विघ्न के कारण हुआ हो, जो बोलीदाता के नियंत्रण के परे हो तो सुपुर्दगी की अविध में वृद्धि पिरसमापित नुकसानी के साथ या उसके बिना कर दी जाएगी।
- 7. उपापन में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा न्याय क्षेत्र अजमेर होगा।
- 8. जोखिम एवं लागत का प्रावधान GF&AR अनुसार लागू होगा। इससे साक्ष्य में इसमें पक्षकारों ने आज दिनांक......माह....सन 20......को अपने हस्ताक्षर किये।

अनुमोदित प्रदायकर्ता के हस्ताक्षर

राज्यपाल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ताक्षर पदनाम

दिनांक

दिनांक

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 01

साक्षी संख्या 02

साक्षी संख्या 02

Annexure A: Compliance with the code of Integrity and No conflict of Interest Any person participating in a procurement process shall-

- **A.** Not offer any bribe reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- **B.** Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- C. Not indulge in any collusion, bid rigging or anti-competitive behaviour to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- **D.** Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidder with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- E. Not indulge in any coercion including impairing or harming or treating to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- F. Obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- G. Disclose conflict of interest, if any; and
- **H.** Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country baring the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a siltation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligation, or compliance with applicable laws and regulation.

A Bidder may be considered to be Conflict of Interest With one or more parties in a bidding process if, including but not limited to;

- A. Have controlling partners/shareholders in common; or
- B. Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- C. Have the same legal representative for purposes of the bid; or
- **D.** Have a relationship with each other, directly or through common third parties. That puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder or influence the decision of the procuring entity regarding the bidding process's
- E. The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more then one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved, however, this does not limit the inclusion of the same sub contraction, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
- **F.** The bidder or any of its affiliates participated as consultant in preparation of the design or technical specifications of the good, works or services that are the subject of the bid; or
- **G.** Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in charge/consultant for the contract.

Participation of bidders:

The bidders belonging to or with beneficial ownership from countries sharing land border with India, for participation in any public procurement in the State, shall only be allowed after prior registration with the Industries Department of the Government of Rajasthan. For the purpose of this rule "Bidder from a country which shares a land border with India" means,-

- A. An entity incorporated, established or registered in such a country;
- B. A subsidiary of an entity incorporated, established or registered in such a country;
- C. An entity substantially controlled through entities incorporated, established or registered in such a country;
- D. An entity whose beneficial owner's situated in such a country;
- E. An Indian (or other) agent of such an entity;
- F. A natural person who is a citizen of such a country;
- G. A consortium or joint venture where any member of the consortium or joint venture falls under any of the above."

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualification <u>Declaration by the Bidder</u>

respons	ation to my/our Bid submitted tofor procurement ofin se to their Notice Inviting Bids NoDatedI/We hereby declare 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:
1.	I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
2.	I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3.	I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4.	I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct ro the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
5.	I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:
6.	Our firm has not been blacklisted/debarred anywhere in the Rajasthan.
7.	Our firm is dealing in the aforesaid procured good i.e. Revolving Chair for the last years (please mention the number of years. minimum one year experience is required as per tender document.
8.	I/we have put mu/our signature along with seal of my/our firm on every page of the tender document as a token of acceptance of the terms & conditions of the tender document.
9.	We have purchase the tender document @Rs. 200 vide receipt/challan no.
10.	Security deposit is being submitted in the form of cash receipt no
Date:	Signature of bidder
Place:	Name:
	Designation:
	Address:

Annexure C: Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Chairman BOR, Ajmer

The designation and address of the Second Appellate Authority Secretary, Revenue Dept., Jaipur

1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in Contravention to the provision of the Act or the Rules or the Guidelines issued there under, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feel aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter or financial Bids be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- 2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- 3) If the officer designated under Para(1) fails to dispose off the appeal filed within the period specified in Para(2), or if the Bidder or prospective bidder or the procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or prospective bidder or the procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf with in fifteen days from the expiry of the period specified in Para(2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate, as the case may be.

4) Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring Entity to the following matters, namely:-

- a) Determination of need of procurement;
- b) Provision limiting participation of Bidder in the Bid process;
- c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
- d) Cancellation of a procurement process;
- e) Applicability of the provisions of confidentiality;

5) Form of Appeal

a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

- **b)** Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
- **c)** Every appeal may be presented to first appellate authority second appellate, as the case may be, in person or through registered post or authorized representative.

6) Fee for filing appeal

- a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- **b)** The fee shall be paid in the from bank demand draft banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

7) Procedure for disposal of appeal

- a) The first Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- **b)** On the date fixed or hearing, the first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, shall
 - i. hear all the parties to appeal present before him; and
- ii. Peruse or inspect documents, relevant records or copies there of relating to the matter.
- c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies there of relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- d) The order passed under sub-clause(c) above shall also be placed on the State public procurement portal.

> FORM No. 1 See rule 83)

Memorandum of appeal under the Rajasthan Transparency in public procurement

Act, 2012

	peal Noof				
	Fore the (First/Second Appellate Authority)				
1,	Particulars of appellant:				
	(1) Name of the appellant:				
	(2) Official address, if any:				
	(3) Residential address:				
2.	Name and address of the respondent(s)				
	(i)				
	(ii)				
	(iii)				
3.	3. Number and date of the order appealed against and name and designation of officer/authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which appellant is aggrieved:				
4.	If the appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:				
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:				
6.	Grounds of appeal:				
	(Supported by an affidavit)				
7.	Prayer:				
	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••				
Plac	ce				
Dat	e				
Apr	pellant's signature				

Annexure D: Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of error, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to vary Quantities

- i. If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
- ii. Repeat orders for extra items or additional quantities may be placed, if it is provided in the bidding documents, on the rates and conditions given in the contract if the original order was given after inviting open competitive bids. Delivery or completion period may also be proportionately increased. The limits of repeat order shall be as under
 - a) 50% of the quantity of the individual items and 50% of the value of original contract in case of works; and
 - b) 50% of the value of goods or services of the original contract.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in the order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E: Declaration by the Bidder regarding Qualification

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of Revolving Chair in response to their NIB NO.: BOR/Goods/OCB/ Revolving Chair /Rs. 6,00,000/2023/ Dt.: /03/2023.

I/We hereby declare Section 7 of Rajasthan Transparency in public Procurement Act, 2012, that:

- 1. I/We Possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the procuring Entity;
- 2. I/We have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and or directors and officers have not been convicted of any criminal finance related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract with in a period of three years preceding the commencement of this procurement process or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, Which materially affects fair competition:

Date:	Signature of bidder
Place:	Name:
	Designation:
	Address:
	Mobile No :

Annexure F: Declaration by the Bidder regarding Blacklisting / Debarred

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of Revolving Chair in response to their NIB NO.: BOR/Goods/OCB/ Revolving Chair /Rs. 6,00,000/2023/ Dt.: /03/2023.

I/We hereby declare that my/our firm has not been **BLACKLISTED / DEBARRED** by any Government / Private / Public Department in any way in preceding three years.

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Mobile No.:

Annexure G: Declaration by the Bidder regarding Work Experience

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of Revolving Chair in response to their NIB NO.: BOR/Goods/OCB/ Revolving Chair /Rs. 6,00,000/2023/ Dt.: /03/2023.

I/We hereby declare that my/our firm has worked for Government/Public Department in respect of service of **Revolving Chair**. (Minimum 2 Certificate must be attached of the work order)

Date:

Signature of bidder

Place:

Name:

Designation:

Address:

Mobile No.:

शपथ-पत्र (Annexure-I)

NIB NO.: BUR/Goods/UCB/ Revolving Chair /Rs. 6,00,000/2023/	Dt. : /	<u>/03/2023.</u>
•		
I	ed Yrs.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
residing at	Proprietor/P	artner/
Director of M/s	do hereby s	solemnly
affirm and declare that:	•	•
(a) My/Our above noted enterprise M/s	}	nas heen
issued acknowledgement of Entrepreneurial Memorandum	*	and otter
Part - II by the District Industries Center		
The acknowledgement No. is		
and has been issued for manufacture of following items:	****************	**********
	1. 5	
Name of Item Production Capacity (Yea (i)	riy)	
(ii)		
(iii)		
(iv)		
(\mathbf{v})		
(b) My/Our above noted acknowledgement of Entrepreneurial M not been cancelled or withdrawn by the Industries Department regularly manufacturing the above items.	and that the	enterprise i
(c) My/Our enterprise is having all the requisite plant and equipped to manufacture the above noted items.	machinery	and is full
Place		

Signature of Proprietor/ Director Authorized Signatory with RubberStamp and date

शपथ—पत्र (Annexure-H) (राशि रूपये 100 के गैर न्यायिक स्टाम्प पर)

NIB NO.: BOR/Goods/OCB/ Revolving Chair /Rs. 6,00,000/2023/ Dt.: /03/2023.						
	मैसर्स (कम्पनी / फर्म / एजेन्सी का नाम एवं पता)शपथ पूर्वक निम्न घोषणा करता / करती हूं					

कि :						
1.	बिड क्रमांक मय दिनांक में मेरे / हमारे द्वारा दी गयी समस्त जानकारियां / दस्तावेज पूर्णतया सही हैं।					
2.	मेरे / हमारे द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मेरी / हमारी कम्पनी / फर्म / एजेन्सी, केन्द्र / राज्य सरकार के किसी भी विभाग अथवा किसी भी सरकारी उपक्रम द्वारा विगत 03 वर्षों में Black Listed/Debar/ नहीं की गयी हैं।					
3.	बोली प्रपत्र में मांगी गई विभिन्न प्रकार के पंजीकरण के प्रमाण पत्र छायाप्रति संलग्न कर दी गई हैं एवं समस्त दस्तावेज पूर्णतया सही हैं तथा गलत पाये जाने पर इसकी जिम्मेदारी मेरी / हमारी रहेगी।					
4.	उपरोक्त बिड संख्यामें चाही गई/संलग्न की गई सूचनाएँ प्रमाण पत्र गलत/कूटरिचत पाया जाता हैं तो विभाग किसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।					
5.	बोली में प्रस्तुत सामग्री हमारी स्वयं की निर्माण ईकाई में निर्मित करने के उपरान्त ही सामग्री की आपूर्ति की जा रही हैं।					
Date:	Signature of bidder					
Place:	Name:					
	Designation:					
	Address:					
	Mobile No. :					

Annexure J: Declaration by the Bidder regarding Technical Specification of the product quoted for Supply

In relation to my/our Bid submitted to "REGISTRAR, BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER" for procurement of Revolving Chair in response to their NIB NO.: BOR/Goods/OCB/ Revolving Chair /Rs. 6,00,000/2023/ Dt.: /03/2023.

क्र.सं.	उपयोग	विवरण	YES/NO
1.	अधिकारीगण हेतु	Seat with high quality Italian leatherette upholstery, seat and back 40DC super soft foam with uper layer siliconized polyster fibre for extra comfort, S Curved back, permanent contact Synchro tilt mechanism, upright position locking and a fixed J type Metal armrest cushioned for soft grip Five pronged strong metal base with Glass filled nylon twin wheels Weight - 21 Kg Approx Dimension - 70*70*115 cm Primary Material - High Quality Italian Leatherette Upholstery - Rexine Leatherette Seat Height - 50-60 Cm Colour - Black Warranty - 24 Month with replacement of paticular damaged parts or entire product in case of non availability of damaged parts	
2.	कर्मचारीगण हेतु	Seat with high quality Italian leatherette upholstery, Permanent contact Synchro tilt mechanism, upright position locking and a fixed metal arm with moulded polyurthane Grip Five pronged strong metal base with Glass filled nylon twin wheels Weight - 16 Kg Approx Dimension - 68*72*92 cm Primary Material - High Quality Italian Leatherette Upholstery - Rexine Leatherette Seat Height - 50-60 Cm Colour - Black and Camel Warranty - 24 Month with replacement of paticular damaged parts or entire product in case of non availability of damaged parts	